तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जज या जाब्ता के हुक्म की तामील
12/3/19.	वकील उपस्थित। वकील वादी ने दावा विड्रा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा इसका दावा पेश करने की इजाजत चाही। प्रार्थना पत्र के अनुसार दावा विड्रा करने की इजाजत दी जाती है तथा विड्रा के आधार पर वकील प्रतिवादी ने अनापत्ति जाहिर की। अतः वादी प्रेमचंद्र प्रसाद का नाम से मुकदमा दायर करने की इजाजत दी जाती है। वादी को नया दावा पेश करने की छूट दी जाती है। अतः प्रेमचंद्र प्रसाद के नाम से मुकदमा दायर की जाती है।	

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)